# नेपाल गजेट

## भाग २


श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड १४ | काठमाडौं, चैत्र २६ गते २०२१ साल | अतिरिक्ताङ्क ३८


श्री ५ को सरकार

### कानून तथा न्याय मन्त्रालय

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले बनाई बक्सेको तल लेखिएबमोजिमको ऐन सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको छ ।

२०२१ सालको ऐन नं. ३३

**स्वस्तिश्री गिरिराजचक्रचूडामणि नरनारायणेत्यादि विविध विरुदावली विराजमान मानोन्नत महेन्द्रमाला ओजस्विराजन्य अतितेजस्वी त्रिभुवन प्रजातन्त्रश्रीपद अतिकीर्तिमय नेपालश्रीपद प्रोज्ज्वल नेपालतारा ॐ रामपट्ट अतुलज्योतिर्मय त्रिशक्तिपट्ट अतिप्रबल गोरखादक्षिणबाहु महाधिपति अतिरथी परमसेनाधिपति श्री श्री श्री श्री श्रीमन्महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव देवानाम् सदा समरविजयिनाम् ।**

### पूरक विनियोजन ऐन २०२१

प्रस्तावनाः– आर्थिक वर्ष २०२१।०२२ को निमित्त विभिन्न सेवा र कार्यहरूमा खर्च गर्न विनि-




६९८

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

योजन ऐन, २०२१ द्वारा निर्धारित गरिएको रकम अपर्याप्त भएकोले ती सेवा र कार्यहरूमा केही रकम थप गर्न वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम:– यो ऐनको नाम "पूरक विनियोजन ऐन, २०२१" रहेको छ ।

२. आर्थिक वर्ष २०२१।०२२ को निमित्त सञ्चित कोषबाट थप रुपैयां खर्च गर्ने अधिकार:– आर्थिक वर्ष २०२१।०२२ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३ मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएको सेवा र कार्यहरूको निमित्त अनुसूची २ को कालम ४ मा र अनुसूची ३ को कालम ४ मा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम जम्मा रुपैयां ८,०८,६५,०००।– आठ करोड आठ लाख पैसट्ठी हजारमा नबढाई त्यतिसम्मको रकम सञ्चित कोषबाट थप खर्च गर्न सकिनेछ ।

३. विनियोजन:– यो ऐनद्वारा सञ्चित कोषबाट थप खर्च गर्न अधिकार दिइएको रकम आर्थिक वर्ष २०२१।०२२ को निमित्त अनुसूची २ को कालम ३मा र अनुसूची ३ को कालम ३ मा निर्दिष्ट गरिएका सेवा र कार्यहरूको निमित्त विनियोजन गरिनेछ ।

तर, उक्त सेवा र कार्यको निमित्त यो दफा र विनियोजन ऐन, २०२१ को दफा ३ द्वारा विनियोजन गरिएको जम्मा रकम कुनैमा बचत हुने र कुनैमा नपुग हुने देखिन आयो भने श्री ५ को सरकारले एक शीर्षकबाट जम्मा रुपैयां ३,००,०००।– तीन लाखमा नबढ्ने गरी कुनै एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूबाट अर्को एक वा एकभन्दा बढी शीर्षकहरूमा रकम सार्न सक्नेछ ।

मुद्रण विभाग

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

## अनुसूची १

### संविधान अनुसार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| सि. नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने, रु. हजारमा |
| १ | ३ | राष्ट्रिय पञ्चायत | ५४ |
| २ | ५ | सर्वोच्च अदालत | १० |
| ३ | ३८ | लगानी ऋण तथा ब्याज | १०० |
| | | | १६४ |

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

६१८

अधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

## अनुसूची २

### दफा २ र ३ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| सि. नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | विनियोजित रकम रु. हजारमा |
| १ | ७ | मन्त्रिपरिषद् | २५ |
| २ | ८ | श्री ५ को सरकारको सचिवालय | १,२५ |
| ३ | ९ | जिल्ला प्रशासन | ५१ |
| ४ | १० | पुलिस | ८७ |
| ५ | ११ | जेल | २ |
| ६ | १२ | विविध | ९७ |
| ७ | १३ | मालपोत | ६,५६ |
| ८ | १४ | भन्सार | ७,८६ |
| ९ | १५ | अन्तःशुल्क | १० |
| १० | १६ | कर | १५ |
| ११ | १७ | रोडशेष | ३२ |
| १२ | १८ | आयकर अदालत | ४ |
| १३ | २० | सर्भे | ११ |
| १४ | २१ | टक्सार | २६ |
| १५ | २२ | ए. ज. अफिस | ३३ |

६१८

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार
आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| १६ | २३ | अदालत | १,८६ |
| १७ | २५ | वैदेशिक | ५,६६ |
| १८ | २६ | विविध | २७ |
| १९ | २७ | शिक्षा | ७ |
| २० | २८ | स्वास्थ्य | १,१९ |
| २१ | २९ | प्रचार तथा प्रसार | १,३० |
| २२ | ३० | पञ्चायत | १६ |
| २३ | ३१ | कृषि | ५ |
| २४ | ३२ | वन | ६९ |
| २५ | ३४ | सञ्चार | २६ |
| २६ | ३५ | यातायात | ६५ |
| २७ | ३६ | बिजुली | १९ |
| २८ | ३७ | निर्माण | ६७ |
| २९ | ३९ | रक्षा | ५,७० |
| ३० | ४० | शाही परिवार तथा प्रतिनिधि-मण्डलको भ्रमण खर्च | २,०० |
| ३१ | ४१ | पेन्सन भत्ता तथा उपदान | २,०० |
| ३२ | ४५ | मुआवजा | १,०० |
| ३३ | ४७ | भैपरी आउने | १०,०० |
| | | | ५३,९८ |

६९१

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

## अनुसूची ३

### दफा २ र ३ अनुसार सञ्चित कोषबाट खर्च हुने

| १ | २ | ३ | ४ |
|---|---|---|---|
| सि. नं. | अनुदान संख्या | सेवा र कार्य | विनियोजित रकम रु. हजारमा |
| १ | १ | तथ्यांक | १ |
| २ | २ | सर्भे | ३,०० |
| ३ | ६ | प्रचार तथा प्रसार | ७० |
| ४ | ८ | कृषि | १०,०० |
| ५ | १० | उद्योग वाणिज्य | १५,३९ |
| ६ | ११ | सञ्चार | १,०४ |
| ७ | १२ | यातायात | ४१,५० |
| ८ | १३ | बिजुली | ४,५३,५० |
| ९ | १४ | निर्माण | २,००,५८ |
| १० | १८ | भैपरी आउने | ७,०० |
| ११ | १९ | योजना | ५३ |
| १२ | २१ | भूमिसुधार | २१,४२ |
| | | | ७,५४,६७ |

लालमोहर सदर मिति २०२१।१२।२६।१ मा

आज्ञाले–
विनोदप्रसाद धिताल,
श्री ५ को सरकारको सह–सचिव।

मुद्रण विभाग, सिंहदरबार

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।

६.२०